309

37

पत्र संख्या-14/प0-132/2004 का0-7530

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री मोहन कुमार सरकार
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 2 सितम्बर, 2004

विषय : अपर समाहर्त्ता को संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, चकबंदी के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि चकबंदी योजना का कार्य सम्पन्न करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता को आवश्यकतानुसार संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, चकबंदी के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं । इस पर मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी)

ज्ञापांक- 12/चक0-मु0-1-02/2002-931/चक0, पटना, दिनांक 2 सितम्बर 04

प्रतिलिपि - निदेशानुसार सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता सह उप निदेशक चकबंदी को विभागीय अधिसूचना संख्या 365 दिनांक 2.5.2002 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय कार्य कर सकते हैं ।

(मुरलीधर राम)
उप निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना

Scanned with OKEN Scanner